न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 84/2011 दायरा दिनांक : 14.03.2011

उनवान

मथुरालाल वल्द श्री मूलचन्द जी, जाति खाती, निवासी गाम आंकेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां (सन्यास प्राप्त) द्वारा मानुष चन्द आत्मज श्री मथुरालाल जी, जाति खाती, निवासी ग्राम आंकेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

2– अधिशाषी अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी. मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना नायब तहसीलदार अभिभाषक
रेस्पोडेंट रेस्पोडेंट–1 की ओर से
शेष रेस्पाडेंट अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता जिससे वाद संख्या – 194/2010 वास्ते दावा अन्तर्गत धारा 88 ता 90 व 188 आर.टी.ए. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कम 2 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया गया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 20.02.2023

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 यह कि वाके माल आकेडी, तहसील अन्ता में वादी के स्वामित्व व खाते की भूमि सैटलमेंट के पूर्व खाता संख्या 49 में किता 6 में 23 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 1 में 1 किता में 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी। बाद सैटलमेंट उक्त भूमि खाता नं. 63 में 7 किता में 3.53 हेक्टर दर्ज की गई।

3 यह कि वादी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 1.59 हेक्टर सैटलमेंट के पूर्व खसरा नम्बर 320/53 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 300/53 मि. रकबा 10 बीघा थे, जिसमें 0.28 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गई है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 122 में जोड़ दी गई है और यही विवादित भूमि है।

4 यह कि वादी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 121 से लगवा भूमि खसरा नम्बर 122 स्थित है जिसका गत कमांक खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा था, जिसे वर्तमान में सैटलमेंट ने बढ़ाकर क्षेत्रफल 0.95 हेक्टर कर दिया जो खसरा नम्बर 121 में से भूमि कम करके 122 में बढ़ाया गया है और वह रास्ते के रूप में में अंकित किया गया है।

5. इस प्रकार इस रास्ते में 0.28 हेक्टर वादी की भूमि 121 से कम अंकित करके रास्ते में जोड़ दी गई है और राजस्थान सरकार के भवन एवं पथ निर्माण के अधिशाषी अभियन्ता प्रतिवादी कम 2 द्वारा इस भूमि कमांक 122 की पूरी चौड़ाई में गांव में आने जाने का रास्ता सड़क के रूप में बनाने की धमकी वादी को दी है। यदि वादी की भूमि खसरा नम्बर 121 में कम अंकित किये गये 0.28 हेक्टर रकबा जो खसरा नम्बर 122 से उत्तर दिशा में स्थित है, से सड़क निर्माण कार्य करा दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त विवादित भूमि 0.28 हेक्टर पर वादी का निरन्तर कब्जा है। इसलिए वादी के खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी हैं ।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6 यह कि प्रतिवादीगण राज0 राज्य के प्रतिनिधि इस विवादित भूमि में दक्षिण से उत्तर की ओर पूरी चौड़ाई में यदि निर्माण कार्य कर लेगे तो वादी के साम्पतिक एवं खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। पी. डब्ल्यू. डी. के प्रतिनिधि दिनांक 10.04.2010 को मौके पर आये व भूमि का नाप तोल करने लगे व कहने लगे कि वे वर्तमान रेकार्ड के अनुसार दक्षिण से उत्तर पूरी चौड़ाई में रास्ता बनायेगे। जबकि प्रतिवादी की भूमि दक्षिण दिशा में थी जहां पर ड्रेन खोदी दी गई है।

7 यह कि वादी ने विवादित भूमि के रकबे की दुरूस्ती बाबत न्यायालय श्रीमान् के यहां धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही भी कर रखी है जो जैरकार है। विवादित भूमि पर सड़क निर्माण नहीं करने के सम्बन्ध में वादी ने जिला कलेक्टर, महोदय बारां को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस भी दिनांक 16–4–2010 को प्रेषित कर दिया है। परन्तु वाद की प्रकृति आवश्यक है, इसलिए नोटिस की मियाद समाप्त होने का इन्तजार नहीं किया जाकर वाद धारा 80(2) के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा है, जिससे न्यायालय से स्वीकृति हेतु आवेदन कर दिया है।

8 यह कि वाद कारण दिनांक 10.04.2010 को प्रतिवादीगण के प्रतिनिधियों द्वारा भूमि का नाम तोल कर सड़क निर्माण की धमकी देने पर तथा दिनांक 16–4–2010 को जिला कलेक्टर बारां को धारा 80 सी. पी. सी. का नोटिस प्रेषित करने पर बमुकाम आकेडी उत्पन्न हुआ।

9 अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय का सादिर डिक्री फरमाया जावे कि वादी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 121 वाके आकेडी सें लगी हुई 0.28 हेक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 122 वर्तमान रास्ते में उत्तरी ओर है पर किसी प्रकार का सड़क निर्माण कार्य नहीं करें और ना अपने प्रतिनिधियों से करायें एवं वादी के खाते से कम किये गये रकबे 0.28 हेक्टर की पूर्ति कराई जावे।

10 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

11 उक्त उनवानी प्रकरण में वकील प्रतिवादी कम 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी इस आशय का पेश किया कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध वाद रास्ते की भूमि को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

कम करने तथा ग्राम आंकेडी में जाने का रास्ता के निर्माण को रोकने का प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। वादी ने अपने पिता को सन्यास प्राप्त लिख कर द्वारा मानुष चन्द के वाद पेश करने से पूर्व कोई दस्तावेज 7 वर्ष से लापता होने का पेश नहीं किया, ना ही अपने अधिकारों की हक घोषणा बाबत अनुतोष चाहा। सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया। धारा 188 आर.टी.ए. का दावे की तारीख को वादी का कब्जा नहीं है।

12 वादी दावा दायरी के समय खातेदार होना आवश्यक है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध इस धारा के अन्तर्गत दावा नहीं लाया जा सकता। मथुरालाल के विरूद्ध खातेदारी का दावा भी नहीं किया तथा उसे जीवित मानकर इसकी खातेदारी स्वीकार की है। राजस्व रेकार्ड में सरकार के खाते में किस्म रास्ता व पगडंडिया दर्ज है तथा मार्ग (रास्ता) बाबत दावा इस धारा के क्षेत्राधिकार से बाहर है जो धारा 188 (4) अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। पगडंडिया तथा रास्ते ग्राम पंचायत की भूमि है जिसके विरूद्ध दावा पंचायती अधिनियम की धारा 109 के तहत नोटिस दिये वगैर नहीं हो सकता है तथा सक्षम न्यायालय तहसीलदार/सिविल न्यायालय है तथा लोक उपयोग की भूमि किस्म परिवर्तन करने या रिकार्ड कम करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

13 सड़क का निर्माण राज्य सरकार के आदेशानुसार शासन सचिवालय से जारी होता है जिस पर रोक लगाने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। राज.टी.एक्ट की धारा 16 (6) के अन्तर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा प्रतिबन्धित भूमि से पूर्ति नहीं हो सकती। वादी द्वारा चाही गई रिलीफ माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने से नहीं दी जा सकती। दावा करने से 10 वर्ष पूर्व सड़क बनायी थी तब भी वादी के पिता द्वारा आपत्ति की गई थी तब दावा नहीं किया जो अब मियाद बाहर है। अतः वाद वादी क्षेत्राधिकार व परिसीमा के बाहर होने से एवं प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

14 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से जरिये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि वादी ने अपने खाते से कम की गई

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जमीन की पूर्ति हेतु तथा अपनी भूमि पर सड़क निर्माण नहीं करने बाबत पेश किया है। वादी ने माननीय उपजिला कलेक्टर, बारां द्वारा पूर्व में जारी निषेधाज्ञा आदेश पेश किया तथा पिता के सन्यास लेने का तथ्य भी स्पष्ट तौर पर पूर्व व वर्तमान वाद में पेश किया है। इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत वमूलिया माताजी का प्रमाण पत्र सलंगन किया है।

15 विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा है तथा सैटलमेंट द्वारा रेकार्ड व रकबे में बदलाव किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग ने वादी के खाते की जमीन खसरा नम्बर 122 में मिलाई है तथा पगडंडिया व रास्ता (चारागाह के लिए नहीं) अंकित कर दिया है । इसी दुरूस्ती बाबत वर्तमान वाद तथा 136 एल आर ए की कार्यवाही वादी ने न्यायालय में पेश कर रखी है तथा रकबा पूरा करने व निषेधाज्ञा प्रदान करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को है। रास्ता पी डब्ल्यू डी द्वारा बनाने का प्रयास किया गया है, पंचायत द्वारा नहीं। इसलिए ग्राम पंचायत वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

16 वादी के खाते की भूमि राज्य सरकार ने नियमानुसार अधिग्रहित नहीं की है और ना ही इस सम्बन्ध में वादी को किसी प्रकार का मुआवजा ही दिया है। भूमि की किस्म परिवर्तन करने का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। सन् 1992 में प्रतिवादी ने विवादित स्थल पर सड़क बनानी चाही थी परन्तु माननीय उपजिला कलेक्टर, बारा ने स्थगन दे दिया था तब प्रतिवादी ने वादी के हिस्से की भूमि पर सड़क नहीं बनाई थी। राजस्व भूमि के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। वादी के खाते की भूमि पर सैटलमेंट विभाग ने पगडंडिया व रास्ता दर्ज कर दिया है जिसकी दुरूस्ती हेतु ही यह वाद पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाकर स्थगन आदेश जारी फरमावे।

17 हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील प्रतिवादी कम 2/ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मथुरालाल खातेदार को सन्यासी होना बताकर बगैर पावर ऑफ एटॉर्नी के मानुषचन्द ने दावा पेश किया। रास्ते का मामला है जो सिविल न्यायालय से सम्बन्धित है। वादी ने

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अन्तर्गत धारा 251 आर टी ए के तहत न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के यहां भी कोई कार्यवाही पेश नहीं की ।

18 ख़सरा नम्बर 320/53 मथुरालाल के गैर खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर पी एच डी के खाते की है। गै0 मु0 सड़क है। सिवाय चक भी मानी जावे तो ग्राम पंचायत की मानी जावेगी। निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादग्रस्त भूमि लोकोपयोगी प्रयोजन की है जिस पर वाद सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं है। आर.टी.ए. की धारा 16(6) से प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया, ना ही पंचायत राज अधि0 की धारा 109 के तहत 60 दिन का नोटिस भी नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि पर सिविल रिट याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावी है।

19 वादी ने लोक उपयोगी प्रयोजन की भूमि से स्वयं की भूमि की पूर्ति का अनुतोष चाहा है। भूमि की पूर्ति लोकोपयोगी प्रयोजन की भूमि से नहीं की जा सकती। पी डब्ल्यू डी कार्यकारी संस्था है जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा ख़ारिज फरमावें। नजीर आर आर डी मार्च 2007 पृष्ठ सं. 193 की छाया प्रति पेश की।

20 दौराने बहस वकील वादी। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि सैटलमेंट विभाग ने वादी के खाते में 0.28 हेक्टर भूमि कम दर्ज की है। खसरा नम्बर 122 की भूमि खसरा नम्बर 121 के लगवा है जो नक्शे एवं मिलान क्षेत्रफल से साबित है। सन् 1991 में भी सडक बनाने का प्रयास किया था । वादी ने मानुषचन्द के माध्यम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में दावा पेश कर स्टे प्राप्त किया था। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी से वाद कारण नहीं होने, वाद की Proper Valuation नहीं होने, न्याय शुल्क के रूप में स्टाम्प कम लगाये जाने तथा क्षेत्राधिकार नहीं होने के बाद ही बाधित हो सकते हैं।

21 वादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। सैटलमेंट ने रकबा कम किया है। रास्ता व सड़क निर्माण का कार्य वादी रोक नहीं रहा। पिता सन्यासी है। 20–30 वर्ष से लापता है जरिये पुत्र दावा पेश

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया है। क्योंकि पैतृक सम्पत्ति है। यह वाद 188 का नहीं है। धारा 88, 89, 90 आर टी ए के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये दावा पेश किया है। ग्राम पंचायत दावे में कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। सड़क ग्राम पंचायत नहीं बना रही वरन पी डब्ल्यू डी बना रही है। यदि राज्य हित में सड़क निर्माण हेतु वादी की भूमि लिया जाना आवश्यक है तो नियमानुसार अधिग्रहित की जाकर मुआवजा दिया जावे। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

22 हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में पगडंडिया तथा रास्ते (चारागाह के लिए नहीं) गै. मु. सड़क दर्ज है जो कि आर.टी.ए. की धारा 16(6) से बाधित है।

23 अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी कम 2 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

24 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

25 यह कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

26 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर दावा वादी अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

27 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम आकेडी, तहसील अन्ता में वादी के खाते एवं कब्जे काश्त में सैटलमेंट से पूर्व खाता नम्बर 49 की 6 किता की 23 बीघा 13 बिस्वा एवं खाता नम्बर 1 की 1 बीघा 15 बिस्वा जुमला 2 खाते की एवं कुल 7 खसरा नम्बरान की 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित थी जो 4.075 हेक्टर के बराबर होती है।

28 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम आकेडी तहसील अन्ता, जिला बारां में उपरोक्त भूमि में से साबिक खसरा नम्बर 320/53 की 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

300/53 की 10 बीघा जुमला 2 किता की 11 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि स्थित थी जो 1.88 हेक्टर के बराबर होती है। उपरोक्त भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादी अपीलांट के खाते दर्ज थी। उपरोक्त भूमि पर वादी अपीलांट का गत 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में है।

29 यह कि वर्तमान सैटलमेंट में वादी अपीलांट के खाते में खसरा नम्बर 121 की 1.59 हेक्टर भूमि दर्ज की गई है। पूर्व रकबे के अनुसार 0.28 हेक्टर अथवा 0.29 हेक्टर भूमि वादी अपीलांट के खाते में और दर्ज की जानी चाहिए थी। वादी अपीलांट के खाते में 1.88 हेक्टर भूमि दर्ज होना चाहिए था।

30 यह कि वादी अपीलांट के खाते एवं कब्जे की खसरा नम्बर 121 से समीपवर्ती (लगवा) भूमि खसरा संख्या 122 की स्थित है, जिसका साबिक खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा था जो 0.19 हेक्टर के बराबर होता है जिसे वर्तमान सैटलमेंट विभाग द्वारा रकबा बढ़ाकर 0.95 हेक्टर कर दिया एवं वादी अपीलांट के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बरा 121 का रकबा कम करके खसरा नम्बर 122 में शामिल कर दिया गया था।

31 कानून के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को वादी अपीलांट की भूमि को प्रतिवादी रेस्पोडेंट के खाते दर्ज करने का एवं भूमि की किस्म काबिल काश्त भूमि को रास्ते की भूमि दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों का उक्त कृत्य सर्वथा अवैध त्रुटिपूर्ण मनमाना एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण वादी अपीलांट के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन है। उक्त अवैध एवं त्रुटि पूर्ण इन्द्राजात से प्रतिवादी रेस्पोडेंट को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं तथा वादी अपीलांट पूर्ववत उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट यथावत रहता है।

32 यह कि वादी अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को रास्ता बनाने का सड़क बनाने का एवं कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

33 यह कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त हे। इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार फरमाकर दावा वादी अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

34 यह कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 16 (6) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 188 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त मामला इन्द्राज दुरूस्ती का है, नये सिरे से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का नहीं है। इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गैर कानूनी रूप से दावा खारिज फरमाने में त्रुटि की हे।

35 यह कि इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने की मियाद कानून में निर्धारित नहीं है। इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की हे। अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा अवैध रूप से दावा वादी अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

36 यह कि प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता पोषणीय नहीं था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार फरमाने में त्रुटि की है।

37 यह कि प्रस्तुत प्रकरण में जवाबदावा प्रतिवादीगण से लेकर तनकीयात कायम कर वाद शहादत फरीकेन कानूनन दावा निर्णीत किया जा सकता है, इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

38 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग जजमेंट की तारीफ में नहीं आने से निरस्त होने योग्य है।

39 यह कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा राजस्व रेकार्ड में पगडंडिया तथा रास्ते गैर मुमकिन सड़क दर्ज होने से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) से बाधित होना मानकर खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

40 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिकी जैर अपील निरस्त फरमाई जावे। प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता खारिज फरमाया जावे तथा प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य होना माना जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि प्रकरण में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर तनकी कायम की जाकर बाद शहादत फरीकेन बहस समाअत फरमाकर प्रकरण निर्णीत करें।

41 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

42 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में 2022(2) डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 586 नजीर पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

43 पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि –

44 माननीय न्यायालय में यह वाद मानुषचन्द आत्मज मथुरालाल, जाति खाती द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि रिकार्डेड खातेदार नहीं है।

45 वादी द्वारा अपने पिता को सन्यास प्राप्त लिखकर प्रस्तुत अपने अधिकारों का हक घोषणा बाबत अनुतोष चाहा गया है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय का पेश नहीं किया गया है। खातेदार मथुरालाल जीवित है जिसके द्वारा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी मानुषचन्द को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है।

46 प्रस्तुत वाद सैटलमेंट के पूर्व प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300/53 रकबा 10 बीघा ग्राम आकेड़ी, तहसील अन्ता के व गैरखातेदारी भूमि 320/53 रकबा 1.15 बीघा के नये नम्बर 121

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 1.59 में 0.28 हेक्टर भूमि की कमी हो जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। वाद में दावा किया गया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 121 में कम हुई 0.28 हेक्टर भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर में मिला दी गई है। अतः कम हुई भूमि की क्षतिपूर्ति खसरा नम्बर 122 में से की जाये।

47 खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर की किस्म पगडंड़िया तथा रास्ते हैं जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है।

48 उक्त भूमि पर गांव का पुराना रोड़ बना हुआ है। खसरा नम्बर 122 ग्राम आकेड़ी की चौड़ाई नक्शा ट्रेस में पूर्व से पश्चिम तक एक समान है तथा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता की खसरा नम्बर 121 की भूमि खसरा नम्बर 122 में मिला दी गई है, यदि उक्त भूमि का रकबा कम कर दिया गया तो रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा।

49 वादी खसरा नम्बर 320/53 रकबा 1.15 बीघा भूमि का सैटलमेंट से पूर्व गैर खातेदार था। वादी द्वारा उक्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त की या नहीं, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 121 में ही जोड़ने योग्य थी।

50 विशेष कथन – प्रस्तुत वाद में ग्राम आंकेड़ी, तहसील अन्ता के हाल खसरा नम्बर 121 में 0.28 हेक्टर कमी की पूर्ति लगवा खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन सड़क से करने का दावा किया है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

51 दावा रिकार्डेड खातेदार द्वारा प्रस्तुत न कर अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायिक कार्यवाही करने हेतु कानूनी रूप से सक्षम नहीं है।

52 उपरोक्त तथ्यों के मध्य नजर रखते हुए वादी का वाद खारिज करने योग्य है।

53 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

54 प्रस्तुत वाद सैटलमेंट के पूर्व प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 300/53 रकबा 10 बीघा ग्राम आकेड़ी, तहसील अन्ता के व गैरखातेदारी भूमि 320/53 रकबा 1.15 बीघा के नये नम्बर 121 रकबा 1.59 में 0.28 हेक्टर भूमि की कमी हो जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। वाद में दावा किया गया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 121 में कम हुई 0.28 हेक्टर भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर में मिला दी गई है। अतः कम हुई भूमि की क्षतिपूर्ति खसरा नम्बर 122 में से की जाये।

55 खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर की किस्म पगडंड़िया तथा रास्ते हैं जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है।

56 वाद मानुषचन्द आत्मज मथुरालाल, जाति खाती द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि रिकार्डेड खातेदार नहीं है।

57 उक्त भूमि पर गांव का पुराना रोड़ बना हुआ है। खसरा नम्बर 122 ग्राम आकेड़ी की चौड़ाई नक्शा ट्रेस में पूर्व से पश्चिम तक एक समान है तथा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता की खसरा नम्बर 121 की भूमि खसरा नम्बर 122 में मिला दी गई है।

58 वादी खसरा नम्बर 320/53 रकबा 1.15 बीघा भूमि का सैटलमेंट से पूर्व गैर खातेदार था। वादी द्वारा उक्त भूमि पर खातेदारी प्राप्त की या नहीं, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 121 में ही जोड़ने योग्य थी।

59 प्रस्तुत वाद में ग्राम आंकेड़ी, तहसील अन्ता के हाल खसरा नम्बर 121 में 0.28 हेक्टर कमी की पूर्ति लगवा खसरा नम्बर 122 रकबा 0.95 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन सड़क से करने का दावा किया है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

60 दावा रिकार्डेड खातेदार द्वारा प्रस्तुत न कर अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि न्यायिक कार्यवाही करने हेतु कानूनी रूप से सक्षम नहीं है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

61 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

62 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2011 यथावत रखा जाता है ।

63 निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टैलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मथुरालाल वल्द श्री मूलचन्द जी, जाति खाती, निवासी गाम आंकेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां (सन्यास प्राप्त) द्वारा मानुष चन्द आत्मज श्री मथुरालाल जी, जाति खाती, निवासी ग्राम आंकेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां
.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा
2– अधिशाषी अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी. मांगरोल, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 84/2011
मु.द.नं0 194/2010

एवं

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अन्ता**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **04.03.2011**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **23** माह **01** सन् **2023**

हाजरी **श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से , **श्री संदीप सक्सैना नायब तहसीलदार** अभिभाषक रेस्पोडेंट रेस्पोडेंट–1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2011 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20** माह **02** सन् **2023** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)